

# CRIMINAL MAJOR LAWS PRACTATHON

For Mains Exam

हिंदी संस्करण

Sample Preview



## Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

| अनुक्रमणिका |                                                 |           |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| क्र. सं.    | विषय                                            | पृष्ठ सं. |
| 1.          | Section Switching Table (Old to New)            | 4-8       |
| 2.          | भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC, 1860)           | 9-62      |
| 3.          | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973) | 73-147    |
| 4.          | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)        | 148-218   |

Sample Preview

# भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC, 1860)

## Nature, Definition, Meaning and Elements of Crime

### 1. आपराधिक मनःस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Or

प्रत्येक अपराध में आपराधिक मनःस्थिति एक आवश्यक तत्व है। इस नियम को स्पष्ट कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध पर किस सीमा तक लागू होता है।

Or

आपराधिक मनःस्थिति के सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए। सख्त दायित्व से संबंधित अपराधों के मामले में यह किस प्रकार सम्मिश्रित होती है।

Or

आपराधिक मनःस्थिति से आप क्या समझते हैं? भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक मनःस्थिति का क्या महत्व है। विवेचन कीजिए।

**Ans.-** आपराधिक मनःस्थिति अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या दोषी मन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य अपराध करते समय दोषपूर्ण कार्य करने का आशय या ज्ञान से है। आपराधिक मनःस्थिति आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आकस्मिक कार्यों और आपराधिक आशय से किए गए कार्यों के बीच अंतर करता है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में, आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता "बेईमानी से" ( धारा 2(7) BNS), "कपटपूर्वक" (धारा 2(9) BNS), और "स्वेच्छा से" (धारा 2(33) BNS) जैसे शब्दों में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, चोरी (धारा 303(1) BNS) जैसे अपराधों में, व्यक्ति के पास संपत्ति लेने का बेईमान आशय होना चाहिए।

आपराधिक मनःस्थिति के बिना, कुछ कार्यों को अपराध नहीं माना जा सकता है। हालांकि, BNS के तहत सख्त दायित्व वाले अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है।

### 2. आपराधिक मनःस्थिति क्या है? सूक्ति "एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री" को स्पष्ट कीजिए। अपराध का निर्धारण करने के लिए हेतु कितना आवश्यक है? क्या आपराधिक मनःस्थिति के सिद्धान्त के कोई अपवाद हैं? अपने उत्तर का उदाहरण दीजिए।

**Ans.-** आपराधिक मनःस्थिति का तात्पर्य अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या दोषी मन से है। इसका तात्पर्य अपराध करते समय गलत काम करने के आशय या ज्ञान से है। आपराधिक मनःस्थिति आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आकस्मिक कार्यों और आपराधिक आशय से किए गए कार्यों के बीच अंतर करता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में, आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता "बेईमानी से" (धारा 2(7) BNS), "कपटपूर्वक" (धारा 2(9) BNS), और "स्वेच्छा से" (धारा 2(33) BNS) जैसे शब्दों में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, चोरी (धारा 303(1) BNS) जैसे अपराधों में, व्यक्ति के पास संपत्ति लेने का बेईमान आशय होना चाहिए।

लैटिन कहावत "एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट रीया" का अनुवाद "कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके पास दोषी मन न हो।" इसका आशय है कि, अपराध का गठन करने के लिए, एक गलत कार्य (वास्तविक कार्य) और एक दोषी मन (आपराधिक मनःस्थिति) दोनों मौजूद होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जाता है जब वह अपराध करने का आशय रखता है या उसे अपने गलत कार्यों का ज्ञान होता है।

हेतु वह अंतर्निहित कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन यह आपराधिक मनःस्थिति से अलग है। जबकि आपराधिक मनःस्थिति अपराध के दौरान आशय या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, हेतु बताता है कि अपराध क्यों किया गया था। आपराधिक दायित्व साबित करने के लिए आम तौर पर हेतु आवश्यक नहीं होता है, हालांकि यह सजा की गंभीरता को निर्धारित करने या न्यायाधीश के विवेक को प्रभावित करने में मदद कर सकता है।

आपराधिक मनःस्थिति के अपवाद: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कुछ अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ये अक्सर सख्त दायित्व वाले अपराध होते हैं, जहाँ केवल कृत्य करने से ही व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है, चाहे उसका आशय कुछ भी हो। उदाहरणों में शामिल हैं:

- लोक उपद्रव (धारा 270 BNS): आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।
- लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण (धारा 199 BNS): इसमें लोक कर्तव्य के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए सख्त दायित्व शामिल है।
- लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अपराधों जैसे विनियामक अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। इन मामलों में, इसके पीछे के आशय के बजाय कार्य पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।

### 3. उपयुक्त उदाहरण देते हुए "आशय", "जानकारी" एवं "हेतु" के मध्य अंतर बताईये।

**Ans.-** आपराधिक विधि में आशय, ज्ञान और हेतु अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, हालाँकि वे अपराध करते समय किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति से संबंधित हैं।

- **आशय:** किसी कार्य को करने के जानबूझकर या उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य को संदर्भित करता है। यह एक विशिष्ट परिणाम लाने की प्रत्यक्ष इच्छा को दर्शाता है।
  - उदाहरण: एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से गोली मारता है। यहाँ, आशय मृत्यु कारित करना है। (धारा 101 BNS) (हत्या) के तहत, अगर इस कृत्य से मृत्यु होती है तो यह दंडनीय होगा।
- **ज्ञान:** किसी व्यक्ति के कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूकता को संदर्भित करता है, भले ही व्यक्ति विशेष रूप से परिणाम की इच्छा न रखता हो। यह किसी कार्य के संभावित परिणामों की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
  - उदाहरण: एक व्यक्ति भीड़भाड़ वाली सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाता है, यह जानते हुए कि किसी को चोट लग सकती है लेकिन उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। यहाँ, व्यक्ति को जोखिम का ज्ञान है, जो (धारा 106 BNS) (उपेक्षा से मृत्यु कारित करना) के तहत देयता को जन्म दे सकता है।
- **हेतु:** किसी कार्य को करने के पीछे का कारण या उद्देश्य बताता है। हेतु बताता है कि कोई व्यक्ति कार्य क्यों करता है, लेकिन यह कार्य की आपराधिकता को प्रभावित नहीं करता है।
  - उदाहरण: एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को विरासत में पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है। हेतु धन प्राप्त करना है, लेकिन यह (हत्या) (धारा 103 BNS) के तहत आपराधिक दायित्व को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हत्या करने का आशय मौजूद है।

### 4. आशय एवं हेतु के मध्य अंतरण स्पष्ट कीजिए। आपराधिक विधि में हेतु के महत्व को दर्शाईये।

**Ans.-** आपराधिक विधि में आशय और हेतु अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, हालाँकि वे अपराध करते समय किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति से संबंधित हैं।

- **आशय:** किसी कार्य को करने के जानबूझकर या उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य को संदर्भित करता है। यह एक विशिष्ट परिणाम लाने की प्रत्यक्ष इच्छा को दर्शाता है।

# CRIMINAL MAJOR LAWS PRACTATHON

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC, 1860)

## Principle of Joint Liability

51. भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5) कोई संयुक्त दायित्व उत्पन्न नहीं करती है।

OR

“संयुक्त दायित्व का सार वास्तव में कारित किए गए अपराध को करने के लिए संयुक्त आशय में है”। चर्चा करें।

Ans.- (BNS) की धारा 3(5) में कहा गया है कि जब कई लोगों द्वारा एक ‘सामान्य आशय के तहत आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह अपराध अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

धारा 3(5) केवल संयुक्त दोषसिद्धि की एक व्यापक अवधारणा प्रदान करती है। यह किसी महत्वपूर्ण या उचित अपराध का परिणाम नहीं है। किसी विशिष्ट अपराध का उल्लेख नहीं है। यदि दो या अधिक व्यक्ति एक सामान्य आशय के तहत अपराध करते हैं, तो उन्हें BNS अपराध के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, यदि BNS की धारा 3(5) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो दो या अधिक व्यक्तियों को उस धारा में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी पाया जा सकता है।

संयुक्त दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए पूरे समूह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय यह निर्धारित करे कि सामान्य आशय के तहत समूह के सहयोग से कुछ अवैध आचरण किया गया था। अपराध के संचालन में पहल करने या सहायता करने वाले व्यक्ति को वास्तविक (नियोजित) अपराध के किये जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए शारीरिक रूप से कोई कार्य करना चाहिए।

इसलिए, उपरोक्त चरण सही नहीं है और धारा 3(5) संयुक्त दायित्व बनाती है।

52. “सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया दण्डित कृत्य” के अर्थ को समझाईये।

Ans.- BNS की धारा 3(5) में कहा गया है कि जब कई लोगों द्वारा एक ‘सामान्य आशय से कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह अपराध अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

धारा 3(5) BNS केवल संयुक्त दोषसिद्धि की एक व्यापक अवधारणा प्रदान करती है। इसका परिणाम कोई महत्वपूर्ण या उचित अपराध नहीं होता है। किसी विशिष्ट अपराध का उल्लेख नहीं है। यदि दो या अधिक व्यक्ति एक सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें BNS अपराध के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, यदि BNS की धारा 3(5) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो दो या अधिक व्यक्तियों को उस धारा में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी पाया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आपराधिक कृत्य किया जाए और यह कई लोगों द्वारा किया जाए। आपराधिक कृत्य करना या उससे दूर रहना आवश्यक है। आपराधिक गतिविधि में विभिन्न सहयोगियों द्वारा किए गए कार्य भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी को किसी न किसी तरह से अवैध व्यवसाय में सहयोग करना या उसमें शामिल होना चाहिए। धारा 3(5) का मूल यह है कि अवैध गतिविधि में शामिल लोगों के मन में एक विशिष्ट या इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ सहमति उत्पन्न होती है।

53. सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Ans.- सामान्य आशय

- इसे BNS की धारा 3(5) के तहत परिभाषित किया गया है। सामान्य आशय से तात्पर्य है पहले से तय की गई योजना और योजना के अनुसार मिलकर काम करना।
- सामान्य आशय कार्य किए जाने से पहले ही अस्तित्व में आ जाता है, जिसके लिए बहुत लंबा अंतराल होना जरूरी नहीं है।
- इस धारा को लागू करने के लिए पूर्व-सामंजस्य को साबित करना जरूरी नहीं है, लेकिन यह कई व्यक्तियों के बीच मौके पर ही विकसित हो सकता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
- सामान्य आशय के अस्तित्व में पाए जाने वाले दायित्व का सार यह है कि जिस आपराधिक कृत्य के खिलाफ शिकायत की गई है, वह सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा किया गया था, अगर यह दिखाया जाता है, तो अपराध के लिए दायित्व किसी भी व्यक्ति पर उसी तरह लगाया जा सकता है जैसे कि कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया हो।

सामान्य उद्देश्य

- सदस्यों के समूह दायित्व या प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित अपराध भारतीय न्याय संहिता के अध्याय XI के अंतर्गत आता है। यह अध्याय की धारा 189 BNS से धारा 197 BNS तक लोक शांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।
- इस धारा से हम कह सकते हैं कि, एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन करने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं –
  1. पाँच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा होनी चाहिए।
  2. उनका एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।
  3. सामान्य उद्देश्य धारा 189 में निर्दिष्ट पाँच तत्वों में से एक होना चाहिए।
- जब आरोपों से कुछ लोगों के दोषमुक्त हो जाने के कारण विचारण के लिए व्यक्तियों की संख्या पाँच से कम हो जाती है, तो धारा 189(1) BNS लागू नहीं होगी।
- इस धारा का दूसरा तत्व एक सामान्य उद्देश्य है। उद्देश्य का अर्थ उद्देश्य है, और यह तब सामान्य होगा जब इसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है।
- एक सामान्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर सभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा बनाया जा सकता है।

54. सामान्य उद्देश्य का विस्तार जैसा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 में उल्लेख किया गया है, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत प्रतिष्ठापित सामान्य आशय की अवधारणा से अधिक वृहद्ध है। इस कथन का सार बताईये।

OR

“सामान्य आशय” एवं “सामान्य उद्देश्य” में अंतर कीजिए। यदि कोई व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 / 190 के तहत आरोपित किया जाता है तो क्या वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 / 3(5) के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता है।

OR

“सामान्य आशय” एवं “सामान्य उद्देश्य” में अंतर पर चर्चा कीजिए।

OR

“सामान्य आशय” से आप क्या समझते हैं। “सामान्य उद्देश्य” से यह किस प्रकार भिन्न है।

# भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973)

## PRELIMINARY

1. निम्नलिखित के बीच में अंतर कीजिए -

- जांच एवं विचारण
- उन्मोचन एवं दोषमुक्ति
- समन मामला एवं वारंट मामला

Ans.-

(a) जांच एवं विचारण

• जांच

जांच आपराधिक मामले में एक चरण है, जहां एक न्यायिक अधिकारी, जैसे कि एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, अन्वेषण अधिकारियों से साक्ष्य प्राप्त करता है।

न्यायिक अधिकारी तब निर्णय लेता है कि क्या संदिग्ध पर अपराध का आरोप लगाने और विचारण की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

जांच के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि या दोषमुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यह विचारण के लिए मामला तैयार करता है।

• विचारण

विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करते हैं।

एक न्यायाधीश या जूरी तब निर्णय लेते हैं कि संदिग्ध अपराध का दोषी है या नहीं।

इसके परिणामस्वरूप या तो अभियुक्त को दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होती है।

(b) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति

Ans.- बीएनएसएस के अनुसार दोषमुक्ति और उन्मोचन के बीच अंतर नीचे दिए गए हैं:

- दोषमुक्ति** का अर्थ है, इस संबंध में प्रस्तुत सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, जब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, तो उसे विधिक रूप से मुक्त करना।  
**उन्मोचन** का अर्थ है, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा दिया गया छोड़ने का विधिक आदेश, जब जिस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वह मिथ्या या निराधार साबित हुआ हो।
- BNSS की धारा 255, 271, 278 में दोषमुक्ति का प्रावधान है जबकि BNSS की धारा 250, 262, 268 में उन्मोचन का प्रावधान है।
- दोषमुक्ति का अर्थ है निर्दोषता का निर्णय, जहां प्रतिवादी को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है। उन्मोचन का अर्थ दोष या निर्दोषता पर निर्णय नहीं है; यह प्रक्रियात्मक या साक्ष्य संबंधी मुद्दों के कारण कार्यवाही की समाप्ति है।
- किसी व्यक्ति को आरोप विरचित करने से पहले भी उन्मोचित किया जा सकता है। आरोप विरचित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को दोषमुक्त किया जा सकता है।
- न्यायिक प्रक्रिया में पूरे विचारण के बाद अभियुक्त की बेगुनाही साबित होने पर दोषमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त को उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य न होने के कारण उन्मोचित कर दिया जाता है।
- दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को उन्हीं आधारों पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्मोचित किए गए व्यक्ति को उन्हीं कारणों से दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
- दोषमुक्ति करने के लिए विचारण और फैसले की ज़रूरत होती है, जबकि उन्मोचित करने के लिए ऐसा नहीं होता।
- दोषमुक्ति करने का परिणाम यह होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रतिवादी के अपराध को साबित करने में विफल रहे। प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण उन्मोचित किया जा सकता है।

(c) समन मामला एवं वारंट मामला

Ans.- समन और वारंट मामले में अंतर

| अंतर के बिंदु                   | समन मामला                                                                                               | Warrant Case / वारंट मामला                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपराध की प्रकृति                | दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय                                                                      | दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय                                                                      |
| प्रक्रिया                       | BNSS के अध्याय-XXI की धारा तक 274-282 प्रदान किया गया है।                                               | BNSS के अध्याय-XX की धारा तक 261-273 प्रदान किया गया है।                                                  |
| आरोप विरचित करना                | अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन, अभियुक्त को केवल विवरण ही बताया जाना चाहिए। | अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक आरोप विरचित करना अनिवार्य है।                                         |
| उद्देश्य                        | यह अभियुक्त व्यक्ति को सूचित करता है कि वह विधिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य है।      | यह उस अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाता है, जिसने सम्यक् रूप से जारी किए गए समन की अनदेखी की है। |
| अंतर्वस्तु                      | इसमें संबंधित दस्तावेजों और अन्य को न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।                  | सामान्यतः यह पुलिस अधिकारी को अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए अधिकृत करता है।           |
| अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कब | परिवादी की अनुपस्थिति या परिवादी की मृत्यु                                                              | परिवादी की अनुपस्थिति। यदि कोई आरोप विरचित नहीं                                                           |

# CRIMINAL MAJOR LAWS PRACTATHON

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

## DOCUMENTARY EVIDENCE

102. प्राथमिक साक्ष्य क्या है?

- Ans.- धारा 57 के अनुसार, प्राथमिक साक्ष्य को साक्ष्य की सर्वोच्च श्रेणी माना जाता है। ऐसा साक्ष्य एक मूल दस्तावेज़ है जिसे निरीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ऐसे साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य से पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  - प्राथमिक साक्ष्य, जिसे आमतौर पर सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है, किसी वस्तु की उपस्थिति का सबसे सुलभ सत्यापन है क्योंकि यह वास्तविक वस्तु है।
  - यह द्वितीयक साक्ष्य से भिन्न है, जो मूल की नकल या उसका विकल्प होता है।
  - यदि प्राथमिक साक्ष्य किसी पक्ष के लिए सुलभ है, तो उस व्यक्ति को इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

103. प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए।

Or

"साक्ष्य" और "साक्ष्य" के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य पर संक्षिप्त, आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें।

- Ans.- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 एक सामान्य नियम देती है कि दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(d) में 'दस्तावेज़' शब्द को परिभाषित किया गया है। दस्तावेज़ का अर्थ है किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला जिसका उपयोग उस मामले को अभिलिखित करने के उद्देश्य से किया जाना है या किया जा सकता है।

- धारा 57 के अनुसार, प्राथमिक साक्ष्य को साक्ष्य के उच्चतम वर्ग के रूप में देखा जाता है। ऐसा साक्ष्य एक मूल दस्तावेज़ है जिसे निरीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ऐसे साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य से पहले न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक साक्ष्य, जिसे आमतौर पर सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है, किसी वस्तु की उपस्थिति का सबसे अच्छा सुलभ सत्यापन है क्योंकि यह वास्तविक चीज़ है।
- यह द्वितीयक साक्ष्य से भिन्न है, जो मूल की नकल या उसका स्थानापन्न होता है।
- यदि प्राथमिक साक्ष्य किसी पक्षकार के लिए सुलभ है, तो उस व्यक्ति को इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

द्वितीयक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो बेहतर साक्ष्य की अनुपस्थिति में दिया जा सकता है जिसे विधि द्वारा पहले दिए जाने की आवश्यकता होती है, जब उस बेहतर साक्ष्य की अनुपस्थिति का उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है।

अधिनियम की धारा 58 अधिनियमित करती है:

"द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं

- (1) इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां;
- (2) मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रतिलिपि की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों के साथ तुलना की गई प्रतियां;
- (3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां,
- (4) उन पक्षों के विरुद्ध दस्तावेजों के प्रतिरूप जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया;
- (5) किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का मौखिक विवरण जिसने इसे स्वयं देखा है।
- (6) मौखिक स्वीकृतियां
- (7) लिखित स्वीकृतियां
- (8) ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने दस्तावेज़ की परीक्षा की जो जिसके मूल में अनेक लेखे या दस्तावेज़ हैं

104. 'द्वितीयक साक्ष्य' की व्याख्या करें? यह किन परिस्थितियों में स्वीकार्य है?

Or

न्यायालय में किन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं?

Or

द्वितीयक साक्ष्य क्या है? किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है? क्या लोक दस्तावेज़ की अप्रमाणित प्रति स्वीकार्य है यदि मूल को नष्ट कर दिया गया है?

Or

द्वितीयक साक्ष्य का क्या अर्थ है और इसमें शामिल है?

Or

जब एक मूल दस्तावेज़ खो जाता है, तो इसकी अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है।

Or

'द्वितीयक साक्ष्य' की व्याख्या कीजिए। उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनमें यह स्वीकार्य है।

Or

प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य क्या है? व्याख्या करें। दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकता है?

- Ans.- द्वितीयक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो उस बेहतर साक्ष्य के अभाव में दिया जा सकता है जिसे विधि द्वारा पहले दिए जाने की आवश्यकता होती है, जब उस बेहतर साक्ष्य के अभाव का उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है।

अधिनियम की धारा 58 अधिनियमित करती है:

"द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं

- (1) इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां;
- (2) मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रतिलिपि की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों के साथ तुलना की गई प्रतियां;
- (3) मूल से बनाई गई या उसकी तुलना की गई प्रतियां,
- (4) दस्तावेजों के प्रतिरूप उन पक्षों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया;

# CRIMINAL MINOR LAWS PRACTATHON

For Mains Exam

हिंदी संस्करण

Sample Preview



## Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

| <b>INDEX</b>  |                                                                   |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>S. No.</b> | <b>Subjects</b>                                                   | <b>Page No.</b> |
| 1.            | किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015           | 4 - 32          |
| 2.            | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012                 | 33 - 61         |
| 3.            | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 | 62 - 83         |
| 4.            | अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958                                    | 84 - 88         |
| 5.            | आयुध अधिनियम, 1959                                                | 89 - 94         |



## किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

### अध्याय I : प्रारंभिक (1-2)

1. **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की परिधि (Scope) एवं प्रयोज्यता (Applicability) पर चर्चा कीजिए। यह अधिनियम भारत भर के बच्चों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है?**

Ans. 1. **अधिनियम की परिधि (Scope)**

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 का उद्देश्य बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम मुख्यतः दो प्रकार के बच्चों से संबंधित है—

- (1) **कानून से संघर्ष में आए बच्चे (Children in Conflict with Law)** तथा
- (2) **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (Children in Need of Care and Protection)**।

अधिनियम बच्चों के मामलों के निपटारे के लिए विशेष संस्थाओं की व्यवस्था करता है, जैसे **Juvenile Justice Board (JJB)** और **Child Welfare Committee (CWC)**। इसके अतिरिक्त बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए **Observation Homes, Special Homes, Children's Homes, Foster Care, Adoption और After-care programmes** की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार अधिनियम का दायरा बाल संरक्षण और पुनर्वास की संपूर्ण व्यवस्था को शामिल करता है।

2. **अधिनियम की प्रयोज्यता (Applicability)**

यह अधिनियम **सम्पूर्ण भारत में लागू** है। इसके अंतर्गत **18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति "बालक/बालिका"** माना जाता है। यह अधिनियम उन सभी मामलों पर लागू होता है जहाँ कोई बच्चा कानून से संघर्ष में हो या उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो।

अधिनियम **Child Care Institutions** के पंजीकरण और विनियमन का भी प्रावधान करता है ताकि बच्चों को उचित देखभाल और संरक्षण मिल सके। साथ ही, बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को **Petty, Serious और Heinous offences** में वर्गीकृत कर उनके लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

3. **भारत में बच्चों को प्रदान किया गया संरक्षण**

यह अधिनियम बच्चों के लिए **child-friendly justice system** स्थापित करता है जिसमें दंड के बजाय **सुधार और पुनर्वास** पर जोर दिया गया है।

अनाथ, परित्यक्त, शोषित या तस्करी के शिकार बच्चों को **आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास** की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम **दत्तक ग्रहण (Adoption), Foster Care और पुनर्वास योजनाओं** के माध्यम से बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

इस प्रकार **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015** बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए उनके संरक्षण, देखभाल और सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करता है तथा पूरे भारत में बाल न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है।

2. **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के अधिनियमित होने के उद्देश्य एवं प्रयोजन का परीक्षण कीजिए। यह Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 से किस प्रकार भिन्न है?**

Ans. 1. **Juvenile Justice Act, 2015 के उद्देश्य एवं प्रयोजन**

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के **संरक्षण, देखभाल, उपचार, विकास और पुनर्वास** को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम बच्चों से संबंधित मामलों में **बाल-हित सर्वोपरि (Best Interest of the Child)** के सिद्धांत पर आधारित है।

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. **बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना** तथा उन्हें शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना।
2. **कानून से संघर्ष में आए बच्चों के लिए सुधारात्मक व्यवस्था** प्रदान करना, ताकि उन्हें दंडित करने के बजाय उनका पुनर्वास किया जा सके।
3. **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों** को आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास उपलब्ध कराना।
4. **Juvenile Justice Board (JJB)** और **Child Welfare Committee (CWC)** जैसी संस्थाओं के माध्यम से बाल-हितैषी न्याय प्रणाली स्थापित करना।
5. **दत्तक ग्रहण (Adoption) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना** ताकि अनाथ और परित्यक्त बच्चों को पारिवारिक वातावरण मिल सके।
6. बच्चों के **सामाजिक पुनर्स्थापन और पुनर्वास** को बढ़ावा देना।

2. **Juvenile Justice Act, 2015 और Juvenile Justice Act, 2000 के बीच अंतर**

Juvenile Justice Act, 2015 ने 2000 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं—

1. **Heinous Offences के संबंध में प्रावधान:** 2015 के अधिनियम में 16-18 वर्ष आयु के बच्चों द्वारा किए गए **heinous offences** के मामलों में Juvenile Justice Board को यह आकलन करने का अधिकार दिया गया है कि बच्चे को वयस्क के रूप में ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। जबकि 2000 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
2. **अपराधों का वर्गीकरण:** 2015 के अधिनियम में अपराधों को **petty, serious और heinous offences** में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 2000 के अधिनियम में ऐसा स्पष्ट वर्गीकरण नहीं था।
3. **दत्तक ग्रहण की नई व्यवस्था:** 2015 के अधिनियम में **Central Adoption Resource Authority (CARA)** को वैधानिक दर्जा दिया गया और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया गया।
4. **Child Care Institutions का पंजीकरण:** 2015 के अधिनियम में सभी बाल देखभाल संस्थाओं का **अनिवार्य पंजीकरण** आवश्यक किया गया है, जबकि 2000 के अधिनियम में यह व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी।
5. **दंडात्मक प्रावधानों का समावेश:** 2015 के अधिनियम में बच्चों के विरुद्ध अपराधों जैसे **कूरता, परित्याग, बाल तस्करी** आदि के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए अधिक व्यापक और सुदृढ़ कानून है। यह अधिनियम 2000 के अधिनियम की कमियों को दूर करते हुए बच्चों के सर्वोत्तम हित, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है।

## CRIMINAL MINOR LAWS PRACTATHON

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 और 10 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कुछ क्षेत्रों से हटाने (removal from certain areas) तथा सामूहिक जुर्माना (collective fine) लगाने से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा कीजिए। ये निवारक उपाय सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा में किस प्रकार सहायक होते हैं?

Ans. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 और धारा 10 में ऐसे निवारक (preventive) प्रावधान किए गए हैं जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना तथा प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।

1. धारा 9 – सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति

धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है, यदि उस क्षेत्र में एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार की घटना हुई हो।

यह प्रावधान तब लागू किया जा सकता है जब—

- किसी क्षेत्र में अत्याचार की घटना हुई हो, और
- यह प्रतीत हो कि उस क्षेत्र के लोगों ने अपराध में भाग लिया, उसे प्रोत्साहित किया या उसे रोकने में विफल रहे।

सामूहिक जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर (opportunity of hearing) दिया जाता है।

उद्देश्य:

- समुदाय में सामूहिक जिम्मेदारी (collective responsibility) की भावना उत्पन्न करना।
- अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक प्रभाव (deterrence) उत्पन्न करना।

2. धारा 10 – किसी व्यक्ति को क्षेत्र से हटाने की शक्ति

धारा 10 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि यदि यह आशंका हो कि कोई व्यक्ति एससी/एसटी समुदाय के विरुद्ध अत्याचार कर सकता है, तो उसे किसी विशेष क्षेत्र से हटाने (externment) का आदेश दिया जा सकता है।

इसके अंतर्गत—

- संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि के लिए उस क्षेत्र से बाहर रहने का आदेश दिया जा सकता है।
- उसके उस क्षेत्र में आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

उद्देश्य:

- संभावित अपराधियों को पहले ही क्षेत्र से हटाकर अत्याचार की घटनाओं को रोकना।
- संवेदनशील क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना।

3. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका

धारा 9 और 10 निम्न प्रकार से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हैं—

- जाति आधारित तनाव और हिंसा को फैलने से रोकती हैं।
- समुदाय को अपराध रोकने के लिए जिम्मेदार बनाती हैं।
- संभावित अपराधियों को हटाकर पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- यह प्रावधान निवारक उपाय के रूप में कार्य करते हैं।

4. एससी/एसटी समुदाय की सुरक्षा

इन प्रावधानों के माध्यम से प्रशासन को यह शक्ति मिलती है कि वह समय रहते कार्रवाई कर सके, जिससे एससी/एसटी समुदाय के लोग भय और उत्पीड़न से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

इस प्रकार धारा 9 और 10 अधिनियम के महत्वपूर्ण निवारक प्रावधान हैं। ये प्रशासन को सामूहिक जुर्माना लगाने और संभावित अपराधियों को क्षेत्र से हटाने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहती है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

**JUDICIARY GUIDANCE  
PROGRAM (JGP)**

Course Validity : 12 Months

www.LinkingLaws.com

**Course Features**

1700+ HOURS  
SESSION

LIVE +  
RECORDED  
LECTURES

EXPERT  
GUIDANCE  
BY TOP  
FACULTIS

COMPLETE  
STRATEGY  
FOR ALL STAGES

LINKING STUDY  
MATERIAL



Linking Support  
988 774 6100

**ENROL NOW**

ENROL NOW

**1. आयुध अधिनियम, 1959 का उद्देश्य क्या है?**

**Ans.** आयुध अधिनियम, 1959 का उद्देश्य भारत में आयुधों और गोलाबारूद के अर्जन, कब्जे, विनिर्माण, विक्रय और अंतरण को विनियमित और नियंत्रित करना है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके और लोक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सख्त अनुज्ञापन प्रावधानों को लागू करके अवैध आयुधों की तस्करी को रोकने और विधि और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है। इस अधिनियम ने भारतीय आयुध अधिनियम, 1878 की जगह ली, जो प्रतिबंधात्मक और विभेदपूर्ण था, ताकि जिम्मेदार नागरिकों को कानूनी नियमों के तहत अग्न्यायुध रखने की अनुमति देने वाला अधिक संतुलित ढांचा स्थापित किया जा सके। यह आयुधों को निषिद्ध और गैर-निषिद्ध श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्राधिकृत व्यक्ति या संस्थाएँ ही उन तक पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त, यह आयुधों के अवैध कब्जे और उपयोग के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है, जिससे शस्त्रों से जुड़े अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके। अधिनियम का उद्देश्य अंततः वैध मामलों में विनियमित अग्न्यायुध स्वामित्व की अनुमति देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।

**2. अधिनियम की धारा 2(1)(ग) के अंतर्गत "आयुध" को परिभाषित करें।**

**Ans.** आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 2(1)(ग) के तहत, "आयुध" का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है-

- आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं;
  - अग्न्यायुध, जैसे राइफल और पिस्तौल; या
  - अन्य शस्त्र, जिनमें तीक्ष्ण धार वाले, नुकीले और घातक शस्त्र शामिल हैं, जो शारीरिक क्षति पहुंचा सकते हैं; या
  - आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी।
- परिभाषा में आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए परिकल्पित किए गए सभी घातक उपकरण सम्मिलित हैं, जो अधिनियम के तहत व्यापक विनियमन सुनिश्चित करते हैं।

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है-

- केवल घरेलू या कृषिक उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, जैसे लाठी या मामूली छड़ी;
- वे शस्त्र जो खेलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हों।

**3. अधिनियम की धारा 2(1)(ख) के अंतर्गत "गोलाबारूद" को परिभाषित करें।**

**Ans.** आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 2(1)(ख) के तहत, "गोलाबारूद" से किसी अग्न्यायुध के लिए गोलाबारूद अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं-

- रोकट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य अस्त्र,
- टारपीडो को काम में लाने और अन्तःसमुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं,
- विस्फोटक, स्फूर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाली या अन्तर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्न्यायुधों के साथ उपयोग के योग्य हों या न हों,
- अग्न्यायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन,
- पलीते और घर्षण नलिकाएं,
- गोलाबारूद के संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी, और
- गोलाबारूद के ऐसे संघटक जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

यह परिभाषा गोला-बारूद के रूप में उपयोग की जा सकने वाली सभी सामग्रियों को विनियमित करने के लिए व्यापक है, तथा उनके कब्जे, विनिर्माण और अंतरण पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

**4. धारा 2(1)(झ) के अनुसार "प्रतिषिद्ध आयुधों" का क्या अर्थ है?**

**Ans.** आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 2(1)(झ) के तहत, "प्रतिषिद्ध आयुधों" से तात्पर्य ऐसे शस्त्रों से है जो या तो स्वाभाविक रूप से खतरनाक हैं या सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित हैं। परिभाषा के अनुसार, इसका अर्थ है-

- वे अग्न्यायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहें, अथवा
- किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर, द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हों, और
- तोपें, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्न्यायुध, और
- ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जैसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करें।

**5. धारा 9 के अनुसार आयुध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है?**

**Ans.** धारा 9- तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध।

**सामान्य प्रतिषेध-** कोई भी व्यक्ति तब तक कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न वहन करेगा, जब तक कि उसके पास अधिनियम के तहत जारी वैध अनुज्ञप्ति न हो।

**आयु और आचरण के आधार पर प्रतिषेध-** निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति अग्न्यायुध या गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से प्रतिषिद्ध है-

- आयु प्रतिबंध-** वह व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

# **RAJ. LOCAL LAWS PRACTATHON**

For Mains Exam

**DIGLOT EDITION**

Sample Preview



## **Linking Publication**

Jodhpur, Rajasthan

| <b>INDEX</b>  |                                                                                                        |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>S. No.</b> | <b>Subjects</b>                                                                                        | <b>Page No.</b> |
| <b>1.</b>     | <b>Rajasthan Excise Act 1950</b>                                                                       | <b>3-13</b>     |
| <b>2.</b>     | <b>Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992</b>                             | <b>14-20</b>    |
| <b>3.</b>     | <b>Rajasthan Public Examination (Measures For Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022</b> | <b>21-28</b>    |

Sample Preview

RAJ. APO (MAINS) PRACTATHON

# PAPER- II- LANGUAGE

**General English**

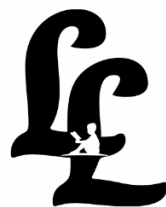
&

**General Hindi (सामान्य हिंदी)**

(included English & Hindi Essay Writing)

(For Mains Exam)

Sample Preview



**Linking Publication**

Jodhpur, Rajasthan

| INDEX      |                         |                |
|------------|-------------------------|----------------|
| S. No.     | Subjects                | Page No.       |
| <b>I.</b>  | <b>General English</b>  | <b>1-148</b>   |
|            | 1. Topic Index          | 1-4            |
|            | 2. English Grammar      | 5-54           |
|            | 3. English Essay        | 55-148         |
| <b>II.</b> | <b>General Hindi</b>    | <b>149-256</b> |
|            | 1. Topic Index          | 149-152        |
|            | 2. Hindi Grammar        | 153-184        |
|            | 3. Hindi Essay (निबन्ध) | 185-256        |

Sample Preview

| Index       |                                                                                |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sr.         | Subject                                                                        | Page No.      |
| <b>I</b>    | <b>Tense</b>                                                                   | <b>5-11</b>   |
| <b>II</b>   | <b>Translation</b>                                                             | <b>12-17</b>  |
| <b>III</b>  | <b>Determiners</b>                                                             | <b>18-19</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Phrasal Verbs</b>                                                           | <b>20-23</b>  |
| <b>V</b>    | <b>Subject-verb agreement</b>                                                  | <b>24-27</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Words often Confused or misused</b>                                         | <b>28-38</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Synonyms</b>                                                                | <b>39-40</b>  |
| <b>VIII</b> | <b>Antonyms</b>                                                                | <b>41-42</b>  |
| <b>IX</b>   | <b>Modals</b>                                                                  | <b>43-45</b>  |
| <b>X</b>    | <b>Unseen Passage</b>                                                          | <b>46-51</b>  |
| <b>XI</b>   | <b>Precis Writing</b>                                                          | <b>52-53</b>  |
| <b>XII</b>  | <b>Notice Writing</b>                                                          | <b>54</b>     |
| <b>XIII</b> | <b>Essay Writing</b>                                                           | <b>55-148</b> |
|             | 1. Uniform Civil Code                                                          | 55-57         |
|             | 2. Artificial Intelligence (AI)                                                | 58            |
|             | 3. Women Empowerment in India                                                  | 59-60         |
|             | 4. One Nation - One Election in India                                          | 61            |
|             | 5. Judicial Activism: (i.e. Legislation by Judiciary)                          | 62-63         |
|             | 6. Female Foeticide: A curse for democracy                                     | 64-65         |
|             | 7. LGBT Community - Need Equality, not Discrimination                          | 66-67         |
|             | 8. Euthanasia                                                                  | 68-69         |
|             | 9. Women Reservation: A forgotten issue                                        | 70-71         |
|             | 10. Communalism in India                                                       | 72            |
|             | 11. Coalition Government in India                                              | 73            |
|             | 12. Legality of Surrogacy in India                                             | 74            |
|             | 13. Right To Information in India                                              | 75-76         |
|             | 14. Judicial Ethics in Indian Judiciary                                        | 77            |
|             | 15. Marital Rape: Culture over Consent                                         | 78-79         |
|             | 16. Cyber Threats to Indian Democracy                                          | 80-81         |
|             | 17. Life Endangering Online Game                                               | 82-83         |
|             | 18. Media Trial & Judicial Trial                                               | 84-85         |
|             | 19. Independence of Judiciary in India                                         | 86-87         |
|             | 20. Capital Punishment in India                                                | 88-89         |
|             | 21. Right to Protest in India                                                  | 90-91         |
|             | 22. Right to Privacy in India                                                  | 92-93         |
|             | 23. The Need for Value Education in India                                      | 94-95         |
|             | 24. Intolerance in India                                                       | 96-97         |
|             | 25. Speedy Justice                                                             | 98-99         |
|             | 26. Environment pollution & Role of Indian judiciary in Environment protection | 100-101       |

## TENSE

| TENSE CHART   |     |                                  |                                                                                                                          |                                               |                                                           |
|---------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|               | S.R | Tense                            | Adverbials                                                                                                               | H.V.                                          | M.V.                                                      |
| PRESENT TENSE | 1.  | Present Indefinite Tense         | always, never, often, frequently, rarely, generally, usually, occasionally, normally, sometimes, each, every, daily etc. | Aff. -<br>Neg. -<br>do/does<br>Int. - do/does | V <sub>1</sub> +s,es/<br>V <sub>1</sub><br>V <sub>1</sub> |
|               | 2.  | Present continuous Tense         | Now, today, continually, constantly, in these days/ months/ years etc.                                                   | is, are, am                                   | V <sub>1</sub> +ing                                       |
|               | 3.  | Present Perfect Tense            | Just, still, already, ever, yet (only in negative)                                                                       | has / have                                    | V <sub>3</sub>                                            |
|               | 4.  | Present perfect continuous Tense | since, for + time                                                                                                        | has been/<br>have been                        | V <sub>1</sub> +ing                                       |
| PAST TENSE    | 5.  | Past Indefinite Tense            | Yesterday, the day before, ago, once upon a time, once, last, the previous etc.                                          | Aff.. -<br>Neg. - Did<br>Int. - Did           | V <sub>2</sub><br>V <sub>1</sub>                          |
|               | 6.  | Past continuous Tense            | while, at this time + any other adverbial of past tense etc.                                                             | was, were                                     | V <sub>1</sub> +ing                                       |
|               | 7.  | Past Perfect Tense               | Before, after, when etc.                                                                                                 | had                                           | V <sub>3</sub>                                            |
|               | 8.  | Past Perfect continuous Tense    | since, for + any other adverbial or sentence of Past Tense                                                               | had been                                      | V <sub>1</sub> +ing                                       |
| FUTURE TENSE  | 9.  | Future Indefinite Tense          | tomorrow, the next, the following etc.                                                                                   | Shall (I, we)<br>will (other)                 | V <sub>1</sub>                                            |
|               | 10. | Future continuous Tense          | at this time + any other adverbial of future tense                                                                       | will be, shall be                             | V <sub>1</sub> +ing                                       |
|               | 11. | Future Perfect Tense             | before, after, by etc.                                                                                                   | will have,<br>shall have                      | V <sub>3</sub>                                            |
|               | 12. | Future Perfect continuous Tense  | since, for + any other adverbial of future tense                                                                         | will have been,<br>shall have been            | V <sub>1</sub> +ing                                       |

## SYNONYMS

| No. | Word                | Synonym                 |
|-----|---------------------|-------------------------|
| 1   | <b>Abandon</b>      | Leave, Forsake          |
| 2   | <b>Abolish</b>      | End, Eradicate          |
| 3   | <b>Abrupt</b>       | Sudden, Unexpected      |
| 4   | <b>Abundant</b>     | Plentiful, Ample        |
| 5   | <b>Accurate</b>     | Correct, Exact          |
| 6   | <b>Achieve</b>      | Accomplish, Attain      |
| 7   | <b>Adequate</b>     | Sufficient, Enough      |
| 8   | <b>Adverse</b>      | Unfavourable, Hostile   |
| 9   | <b>Affluent</b>     | Wealthy, Prosperous     |
| 10  | <b>Aggravate</b>    | Worsen, Intensify       |
| 11  | <b>Alleviate</b>    | Relieve, Reduce         |
| 12  | <b>Ambiguous</b>    | Unclear, Doubtful       |
| 13  | <b>Amiable</b>      | Friendly, Pleasant      |
| 14  | <b>Ample</b>        | Abundant, Sufficient    |
| 15  | <b>Ancient</b>      | Old, Antiquated         |
| 16  | <b>Announce</b>     | Declare, Proclaim       |
| 17  | <b>Anticipate</b>   | Expect, Foresee         |
| 18  | <b>Apparent</b>     | Obvious, Evident        |
| 19  | <b>Apprehend</b>    | Arrest, Understand      |
| 20  | <b>Arrogant</b>     | Proud, Haughty          |
| 21  | <b>Artificial</b>   | Synthetic, Fake         |
| 22  | <b>Ascend</b>       | Climb, Rise             |
| 23  | <b>Askew</b>        | Crooked, Slanting       |
| 24  | <b>Astonish</b>     | Surprise, Amaze         |
| 25  | <b>Authentic</b>    | Genuine, Real           |
| 26  | <b>Awkward</b>      | Clumsy, Unskillful      |
| 27  | <b>Barren</b>       | Unproductive, Sterile   |
| 28  | <b>Benevolent</b>   | Kind, Charitable        |
| 29  | <b>Bewilder</b>     | Confuse, Perplex        |
| 30  | <b>Bias</b>         | Prejudice, Partiality   |
| 31  | <b>Bizarre</b>      | Strange, Odd            |
| 32  | <b>Boisterous</b>   | Noisy, Rowdy            |
| 33  | <b>Brief</b>        | Short, Concise          |
| 34  | <b>Brittle</b>      | Fragile, Delicate       |
| 35  | <b>Candid</b>       | Frank, Honest           |
| 36  | <b>Cease</b>        | Stop, End               |
| 37  | <b>Censure</b>      | Criticise, Condemn      |
| 38  | <b>Coarse</b>       | Rough, Vulgar           |
| 39  | <b>Combat</b>       | Fight, Battle           |
| 40  | <b>Compassion</b>   | Sympathy, Mercy         |
| 41  | <b>Competent</b>    | Capable, Efficient      |
| 42  | <b>Compile</b>      | Collect, Gather         |
| 43  | <b>Comply</b>       | Obey, Submit            |
| 44  | <b>Conceal</b>      | Hide, Cover             |
| 45  | <b>Concede</b>      | Admit, Accept           |
| 46  | <b>Concise</b>      | Brief, Short            |
| 47  | <b>Confiscate</b>   | Seize, Impound          |
| 48  | <b>Conspicuous</b>  | Noticeable, Prominent   |
| 49  | <b>Contemplate</b>  | Consider, Think         |
| 50  | <b>Contradict</b>   | Deny, Oppose            |
| 51  | <b>Conventional</b> | Traditional, Usual      |
| 52  | <b>Convey</b>       | Communicate, Express    |
| 53  | <b>Cordial</b>      | Friendly, Warm          |
| 54  | <b>Corrupt</b>      | Dishonest, Immoral      |
| 55  | <b>Courageous</b>   | Brave, Bold             |
| 56  | <b>Credible</b>     | Believable, Trustworthy |
| 57  | <b>Crucial</b>      | Important, Vital        |

| No. | Word               | Synonym                  |
|-----|--------------------|--------------------------|
| 58  | <b>Cunning</b>     | Clever, Sly              |
| 59  | <b>Curious</b>     | Inquisitive, Eager       |
| 60  | <b>Curtail</b>     | Reduce, Shorten          |
| 61  | <b>Daunt</b>       | Intimidate, Discourage   |
| 62  | <b>Debilitate</b>  | Weaken, Enfeeble         |
| 63  | <b>Decay</b>       | Deteriorate, Rot         |
| 64  | <b>Deceive</b>     | Cheat, Mislead           |
| 65  | <b>Defend</b>      | Protect, Guard           |
| 66  | <b>Deficient</b>   | Lacking, Insufficient    |
| 67  | <b>Deliberate</b>  | Intentional, Planned     |
| 68  | <b>Delicate</b>    | Fragile, Delicate        |
| 69  | <b>Diligent</b>    | Hardworking, Industrious |
| 70  | <b>Diminish</b>    | Decrease, Reduce         |
| 71  | <b>Disclose</b>    | Reveal, Expose           |
| 72  | <b>Discern</b>     | Perceive, Distinguish    |
| 73  | <b>Disclose</b>    | Divulge, Reveal          |
| 74  | <b>Dismal</b>      | Gloomy, Sad              |
| 75  | <b>Disparity</b>   | Difference, Inequality   |
| 76  | <b>Disseminate</b> | Spread, Distribute       |
| 77  | <b>Dread</b>       | Fear, Terror             |
| 78  | <b>Dubious</b>     | Doubtful, Uncertain      |
| 79  | <b>Dwindle</b>     | Decline, Diminish        |
| 80  | <b>Eccentric</b>   | Strange, Unusual         |
| 81  | <b>Eloquent</b>    | Expressive, Fluent       |
| 82  | <b>Eliminate</b>   | Remove, Eradicate        |
| 83  | <b>Emerge</b>      | Appear, Arise            |
| 84  | <b>Eminent</b>     | Famous, Distinguished    |
| 85  | <b>Endeavour</b>   | Attempt, Try             |
| 86  | <b>Endure</b>      | Tolerate, Bear           |
| 87  | <b>Enhance</b>     | Improve, Increase        |
| 88  | <b>Enormous</b>    | Huge, Immense            |
| 89  | <b>Ensure</b>      | Guarantee, Assure        |
| 90  | <b>Essential</b>   | Necessary, Vital         |
| 91  | <b>Explicit</b>    | Clear, Definite          |
| 92  | <b>Facilitate</b>  | Assist, Help             |
| 93  | <b>Feasible</b>    | Possible, Practicable    |
| 94  | <b>Ferocious</b>   | Fierce, Savage           |
| 95  | <b>Flaw</b>        | Defect, Fault            |
| 96  | <b>Flexible</b>    | Adaptable, Pliable       |
| 97  | <b>Flourish</b>    | Prosper, Thrive          |
| 98  | <b>Frugal</b>      | Economical, Thrifty      |
| 99  | <b>Futile</b>      | Useless, Fruitless       |
| 100 | <b>Generous</b>    | Liberal, Charitable      |
| 101 | <b>Genuine</b>     | Real, Authentic          |
| 102 | <b>Gratify</b>     | Please, Satisfy          |
| 103 | <b>Hasten</b>      | Hurry, Accelerate        |
| 104 | <b>Haughty</b>     | Arrogant, Proud          |
| 105 | <b>Hazard</b>      | Danger, Risk             |
| 106 | <b>Hesitate</b>    | Waver, Pause             |
| 107 | <b>Hostile</b>     | Unfriendly, Adverse      |
| 108 | <b>Humble</b>      | Modest, Meek             |
| 109 | <b>Hypocrisy</b>   | Pretence, Deceit         |
| 110 | <b>Immaculate</b>  | Spotless, Pure           |
| 111 | <b>Imminent</b>    | Near, Impending          |
| 112 | <b>Impartial</b>   | Fair, Unbiased           |
| 113 | <b>Impede</b>      | Hinder, Obstruct         |
| 114 | <b>Impetuous</b>   | Rash, Hasty              |

## NOTICE WRITING

**Name of the issuing agency/authority**

**NOTICE**

Date of issue/Release of the notice

**Title/Subject of the Event**

**BODY**

(Date/time/duration/Place/Venue)

Authorized signatory

(Name, Designation and signature)

**Q. - You are the Secretary of the Bar Association. Write a notice regarding a meeting which is to held next week outlining the action to be taken in protest of the violence perpetrated against the lawyers by the police.**

**Ans. –**

**BAR ASSOCIATION  
NOTICE**

Date: 19 September 2026

**Meeting to Protest Police Violence Against Lawyers**

All members of the Bar Association are hereby informed that an **urgent meeting** will be held on **Tuesday, 22 September 2026, at 4:00 PM in the Bar Council Hall**. The agenda of the meeting is to discuss and decide upon collective action in protest against the recent incidents of violence perpetrated against lawyers by the police. Members are requested to attend punctually and contribute constructive suggestions for effective measures.

**Authorized Signatory**

Secretary, Bar Association

# GENERAL ENGLISH PRACTATHON

## Essay Writing

### 2. Artificial Intelligence (AI)

#### What is Artificial Intelligence? :-

The advent of Artificial Intelligence (AI) is an attempt to converge computer science, mathematics, and cognitive science into singular units to create machines with human intelligence. These machines help in learning, reasoning, problem-solving, and language understanding. Owing to the varied tasks performed by AI-enabled machines, AI technology has become a landmark element of the technological revolution of the 21st century.

#### Application/Benefits of AI in different fields

AI technology has transformed the fields of healthcare, finance, automobile, and streaming services. In healthcare, AI is used for drug discovery and diagnosis. Whereas, in the financial sector, AI is used for risk management and optimization of trading strategies. On top of that, this technology has led to the development of AI-powered vehicles, which promise efficient and safe transportation. Furthermore, AI is used in recommendation systems on platforms like Netflix and Amazon to provide personalized suggestions based on the behavior and preferences of users.

#### Threats Accompanied AI:

However, exemplary technological advancements always come with numerous drawbacks. One of the grave consequences of the large-scale adoption of AI is the fear of job loss. In recent times, automation has left many jobless, especially in the manufacturing sector. Thus, governments and technology companies must ensure that there should be a balanced discussion between technological advancements and societal well-being. Also, policymakers must have regular dialogue with ethicists to control the exploitation of citizen's data by technology companies, e.g. Deepfake issues of Bollywood stars created by AI

#### Potential with AI in future: -

Nevertheless, AI has opened exciting opportunities for inquisitive minds as it has created exciting jobs in coding, data science, and robotics. Owing to the increased use of AI technology in these arenas, people have the opportunity to improve their critical thinking, creativity, and problem-solving skills. To leverage new opportunities like these, students should start gaining hands-on experience with AI technologies at an early age.

*E.g. "NAINA" India's 1st AI superstar.*

#### Conclusions

Thus, Artificial Intelligence is a revolutionary force that will shape the future of mankind. To harness the maximum benefits of this technology, it is advisable to use it wisely. Any development or innovation in AI technology must be directed towards the betterment of society and aim to protect the privacy of the weakest section of society.

***"there's no need to fear AI and machines, as they cannot pose a threat unless we humans train them to do so"***

**— Mark Zuckerberg (CEO , META )**

# सामान्य हिंदी (General Hindi)

Sample Preview

| अनुक्रमणिका |                                                                                                                                                                  |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| क्र. सं.    | विषय                                                                                                                                                             | पृष्ठ सं. |
| I           | मुहावरे (निहितार्थ और उनका वाक्य में प्रयोग)                                                                                                                     | 153-156   |
| II          | लोकोक्तियाँ (निहितार्थ और उनका वाक्य में प्रयोग)                                                                                                                 | 157-161   |
| III         | पारिभाषिक शब्दावली                                                                                                                                               | 162-164   |
| IV          | अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद                                                                                                                             | 175-169   |
| V           | संक्षिप्तीकरण (सारांश लेखन)                                                                                                                                      | 170-172   |
| VI          | आधिकारिक पत्राचार<br>1. कार्यालयी पत्र<br>2. कार्यालय आदेश<br>3. परिपत्र<br>4. अर्धशासकीय पत्र<br>5. निविदा<br>6. अधिसूचना<br>7. प्रेस विज्ञप्ति<br>8. वकालतनामा | 173-184   |
| VII         | सामयिक विषय पर लेख (निबंध)                                                                                                                                       | 185-256   |
|             | 1. समान नागरिक संहिता                                                                                                                                            | 185-186   |
|             | 2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)                                                                                                                                     | 187       |
|             | 3. भारत में महिला शास्त्रिकरण                                                                                                                                    | 188-189   |
|             | 4. एक देश : एक चुनाव                                                                                                                                             | 190-191   |
|             | 5. भारत में न्यायिक सक्रियता                                                                                                                                     | 192       |
|             | 6. भारत में कन्या भ्रूण हत्या                                                                                                                                    | 193       |
|             | 7. भारत में LGBT संप्रदाय                                                                                                                                        | 194       |
|             | 8. भारत में इच्छामृत्यु                                                                                                                                          | 195       |
|             | 9. भारतीय संसद में महिला आरक्षण                                                                                                                                  | 196       |
|             | 10. साम्प्रदायिकता                                                                                                                                               | 197-198   |
|             | 11. भारत में गठबन्धन सरकार                                                                                                                                       | 199       |
|             | 12. भारत में सरोजिनी की वैधानिकता                                                                                                                                | 200       |
|             | 13. भारत में सूचना का अधिकार                                                                                                                                     | 201       |
|             | 14. भारत में न्यायिक नैतिकता                                                                                                                                     | 202       |
|             | 15. भारत में वैवाहिक बलात्कार का कानूनी स्थिति                                                                                                                   | 203       |
|             | 16. भारतीय लोकतंत्र के लिए साइबर खतरा                                                                                                                            | 204       |
|             | 17. भारत में ऑनलाइन गेमिंग का युवाओं पर खतरा                                                                                                                     | 205       |
|             | 18. मीडिया विचारण और न्यायिक विचारण                                                                                                                              | 206       |
|             | 19. भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता                                                                                                                           | 207       |
|             | 20. भारत में मृत्यु दंड                                                                                                                                          | 208       |
|             | 21. भारत में विरोध करने का अधिकार                                                                                                                                | 209       |
|             | 22. भारत में निजता का मौलिक अधिकार                                                                                                                               | 210       |
|             | 23. भारत में मूल्यपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता                                                                                                                       | 211       |
|             | 24. भारत में असहिष्णुता                                                                                                                                          | 212       |
|             | 25. त्वरित न्याय: नागरिक का मौलिक अधिकार है                                                                                                                      | 213       |
|             | 26. पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका                                                                                        | 214       |

**मुहावरे**  
**(निहितार्थ और उनका वाक्य में प्रयोग)**

1. **अंक भरना — स्नेहपूर्वक गले मिलना।**  
वाक्य प्रयोग: माँ ने अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर उसे **अंक भर** लिया।
2. **अंग-अंग ढीला होना — बहुत थक जाना।**  
वाक्य प्रयोग: दिनभर कड़ी मेहनत करने के बाद मजदूर का **अंग-अंग** ढीला हो गया।
3. **अंगारे उगलना — क्रोध में कटु वचन कहना**  
वाक्य प्रयोग: क्रोधित होकर उसने अपने मित्र पर **अंगारे उगलने** शुरू कर दिए।
4. **अंधा बनना — जानते हुए भी ध्यान न देना**  
वाक्य प्रयोग: अधिकारी ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर **अंधा बनकर** कोई कार्रवाई नहीं की।
5. **अंधे की लाठी होना — एकमात्र सहारा**  
वाक्य प्रयोग: वृद्ध माता के लिए उसका बेटा ही **अंधे की लाठी** है।
6. **अंधेर खाता होना — सही हिसाब न होना**  
वाक्य प्रयोग: संस्था के खर्च का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, पूरा हिसाब **अंधेर खाता** बना हुआ है।
7. **अक्ल का दुश्मन होना — मूर्ख होना**  
वाक्य प्रयोग: बिना सोचे-समझे अपना नुकसान करना **अक्ल का दुश्मन** होने का प्रमाण है।
8. **अक्ल के घोड़े दौड़ाना — केवल कल्पनाएँ करना**  
वाक्य प्रयोग: काम करने के बजाय वह दिनभर **अक्ल के घोड़े दौड़ाता** रहता है।
9. **अक्ल के पीछे लट्ट लिए घूमना — बुद्धि विरुद्ध कार्य करना**  
वाक्य प्रयोग: समझाने के बावजूद वह बार-बार **अक्ल के पीछे लट्ट लिए** घूमता है।
10. **अगर-मगर करना — बहाने बनाना**  
वाक्य प्रयोग: अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय वह हमेशा **अगर-मगर** करता रहता है।
11. **अड़ियल टट्टू होना — जिद्दी होना**  
वाक्य प्रयोग: वह इतना **अड़ियल टट्टू** है कि किसी की उचित सलाह भी नहीं मानता।
12. **अपना उल्लू सीधा करना — अपना स्वार्थ सिद्ध करना**  
वाक्य प्रयोग: कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का लाभ उठाकर **अपना उल्लू** सीधा करते हैं।
13. **उल्लू बनाना — मूर्ख बनाना**  
वाक्य प्रयोग: दुकानदार ने झूठी जानकारी देकर ग्राहक को **उल्लू बना** दिया।
14. **अपनी खिचड़ी अलग पकाना — साथ मिलकर न रहना, अलग रहना**  
वाक्य प्रयोग: परिवार के सभी सदस्य मिल-जुलकर रहते हैं, लेकिन छोटा भाई हमेशा **अपनी खिचड़ी अलग पकाता** है।
15. **अपने तक रखना — किसी दूसरे से न कहना**  
वाक्य प्रयोग: मित्र ने मुझे अपनी निजी बात बताकर उसे **अपने तक रखने** के लिए कहा।
16. **अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना — अपना नुकसान स्वयं करना**  
वाक्य प्रयोग: अच्छी नौकरी छोड़कर बिना सोचे-समझे व्यापार शुरू करना उसके लिए **अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना** साबित हुआ।
17. **अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना — अपनी प्रशंसा स्वयं करना**  
वाक्य प्रयोग: अपनी उपलब्धियों की बार-बार चर्चा करके वह **अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनता** रहता है।
18. **आँखें खुलना — सजग या सावधान होना**  
वाक्य प्रयोग: धोखा मिलने के बाद उसकी **आँखें खुल गईं** और वह लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करता।
19. **आँखें चार होना — आमना-सामना होना**  
वाक्य प्रयोग: अचानक बाजार में पुराने मित्र से **आँखें चार हो गईं**।
20. **आँखें चुराना — नजर बचाना**  
वाक्य प्रयोग: अपनी गलती सामने आने पर वह अधिकारी से **आँखें चुराने** लगा।
21. **आँच न आने देना — जरा भी कष्ट न आने देना**  
वाक्य प्रयोग: माता-पिता ने अपने बच्चों पर कभी किसी प्रकार की **आँच नहीं आने दी**।
22. **आँखों में खून उतरना — अत्यधिक क्रोध करना**  
वाक्य प्रयोग: अपने भाई का अपमान देखकर उसके **आँखों में खून उतर** आया।
23. **आँखों में धूल झाँकना — धोखा देना**  
वाक्य प्रयोग: जालसाज ने झूठे दस्तावेज दिखाकर लोगों की **आँखों में धूल झाँक दी**।
24. **आँखों का तारा — बहुत प्यारा**  
वाक्य प्रयोग: छोटा बेटा अपने माता-पिता की **आँखों का तारा** है।
25. **आँखें बिछाना — प्रेमपूर्वक स्वागत करना**  
वाक्य प्रयोग: गाँव के लोगों ने अपने प्रिय नेता के स्वागत में **आँखें बिछा दीं**।
26. **आँखों पर परदा पड़ना — भले-बुरे की परख न होना**  
वाक्य प्रयोग: धन के लालच में उसकी **आँखों पर ऐसा परदा पड़ा** कि उसे सही-गलत का अंतर दिखाई नहीं दिया।
27. **आँच न आने देना — जरा भी कष्ट न आने देना**  
वाक्य प्रयोग: पिता ने अपने बच्चों को जीवन में किसी प्रकार की **आँच नहीं आने दी**।
28. **आँचल पसारना — प्रार्थना करना**  
वाक्य प्रयोग: माँ ने भगवान के सामने **आँचल पसारकर** अपने बेटे की सफलता की प्रार्थना की।
29. **आँसू पोंछना — धीरज व ढाढ़स बँधाना**  
वाक्य प्रयोग: मित्र ने दुखी व्यक्ति के **आँसू पोंछकर** उसे धीरज बँधाया।

**आधिकारिक पत्राचार**  
(कार्यालयी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, वकालतनामा)

**कार्यालयी पत्र**

**व्यावसायिक (औपचारिक) पत्र का नमूना**

प्रेषक का नाम पद नाम — ..... पता — ..... टेलीफोन नं० — ..... दिनांक — ..... पत्र संख्या/संदर्भ — .....

पाने वाले (प्रेषित) का नाम पद नाम — ..... पूरा पता — .....

विषय — .....

प्रिय महोदय/महोदया,

पत्र की मूल सामग्री

आभार या धन्यवाद ज्ञापन

समापन सूचक शब्द — भवदीय/भवदीया

हस्ताक्षर (पूरा नाम) पद नाम

संलग्नक :

1. ....
2. ....
3. ....

सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. नाम व पता .....

हस्ताक्षर

**अनौपचारिक पत्र का नमूना**

1. प्रेषक का नाम — .....
2. पता/स्थान — .....
3. दिनांक — .....
4. संबोधन प्राप्तकर्ता को — .....
5. अभिवादन प्राप्तकर्ता को — .....
6. औपचारिक आरंभिक वाक्य (पत्र मिला / बहुत दिनों से नहीं मिला / कुशल सूचना / कुशल-कामना आदि)
7. कथ्य सामग्री — .....
8. औपचारिक अंतिम वाक्य (अनुशंसा / प्रोत्साहन की आशा या उसका अनुशेष / अन्य परिचितों / परिजनों के यथायोग्य अभिवादन आदि)
9. पत्र-प्रेषक का स्वनिर्देश (आपका आज्ञाकारी / तुम्हारी ही / अभिन हृदय आदि)
10. हस्ताक्षर

# GENERAL HINDI PRACTATHON

## सामयिक विषय पर लेख (निबंध)

### 31. भारत में दोषमुक्त होना और सम्मानजनक दोषमुक्त होना

#### परिचय

भारतीय न्याय व्यवस्था में, दोषमुक्ति और सम्मानजनक दोषमुक्ति की अवधारणाएँ विशेष रूप से आपराधिक न्याय और व्यक्तियों व समाज पर इसके प्रभावों के संदर्भ में, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोषमुक्ति एक न्यायिक निर्णय है, कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, जबकि सम्मानजनक दोषमुक्ति एक कदम आगे जाती है, यह दर्शाता है कि अभियुक्त न केवल आरोपों से मुक्त है, बल्कि किसी भी नैतिक या कानूनी दोष से भी मुक्त माना जाता है। ये अवधारणाएँ न्याय, निष्पक्षता और निर्दोषता की धारणा के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित हैं। यह निबंध भारत में दोषमुक्ति और सम्मानजनक दोषमुक्ति से संबंधित अर्थों, कानूनी निहितार्थों, अंतरों और नवीनतम घटनाक्रमों के साथ-साथ व्यक्तियों और न्यायिक प्रक्रिया पर उनके प्रभाव की पड़ताल करता है।

#### दोषमुक्त होने की परिभाषा

दोषमुक्त करना किसी आपराधिक मामले में एक कानूनी फैसला होता है जिसमें अदालत अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में निर्दोष पाती है। यह फैसला तब सुनाया जाता है जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहता है, जो भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र का एक आधार है। "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष" का सिद्धांत मौलिक है, और बरी करना यह सुनिश्चित करके इसे कायम रखता है कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त सबूतों के बिना दंडित न किया जाए।

दोषमुक्ति विभिन्न कारणों से हो सकती है, जिनमें शामिल हैं:

- **साक्ष्य का अभाव:** अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- **प्रक्रियागत अनियमितताएं:** कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन, जैसे अनुचित साक्ष्य संग्रह या दोषपूर्ण जांच, बरी होने का कारण बन सकता है।
- **गवाह की विश्वसनीयता:** यदि मुख्य गवाह अविश्वसनीय हैं या उनकी गवाही असंगत है, तो अदालत आरोपी को बरी कर सकती है।
- **अलीबाई या बचाव :** अभियुक्त अपराध में अपनी संलिप्तता को गलत साबित करने के लिए मजबूत बचाव , जैसे कि अलीबाई, प्रस्तुत कर सकता है।

#### सम्मानजनक दोषमुक्ति की परिभाषा

सम्मानजनक बरी एक विशिष्ट प्रकार की बरी है जहाँ अदालत न केवल अभियुक्त को निर्दोष घोषित करती है, बल्कि किसी भी कलंक या संदेह से मुक्त होकर उसकी पूर्ण निर्दोषता की भी पुष्टि करती है। यह फैसला दुर्लभ है और आमतौर पर उन मामलों के लिए आरक्षित होता है जहाँ अदालत आरोपों को निराधार, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाती है, और सबूत स्पष्ट रूप से अभियुक्त की निर्दोषता का समर्थन करते हैं।

#### सम्मानजनक दोषमुक्ति होने की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **स्पष्ट दोषमुक्ति:** न्यायालय स्पष्ट रूप से कहता है कि अभियुक्त निर्दोष है और आरोप निराधार हैं।
- **कोई संदेह नहीं:** सामान्य बरी होने के विपरीत, जहां तकनीकी कारणों से संदेह बना रह सकता है, सम्मानजनक बरी होने पर अभियुक्त के चरित्र या आचरण के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
- **न्यायिक जोर:** न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले में योग्यता की कमी को उजागर कर सकता है या कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग की निंदा कर सकता है।

सम्मानजनक दोषमुक्त होने की अवधारणा के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, विशेष रूप से रोजगार और सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में, जहां एक नियमित बरी होने पर भी किसी व्यक्ति की उपयुक्तता के बारे में संदेह उत्पन्न हो सकता है, जबकि एक सम्मानजनक बरी होने से उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बहाल हो जाती है।

#### ऐतिहासिक निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने प्रमुख निर्णयों के माध्यम से दोषमुक्ति और सम्मानजनक दोषमुक्ति की समझ को आकार दिया है:

1. **एस समुथिराम बनाम भारत संघ (2013):**
  - अदालत ने फैसला सुनाया कि संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया जाना सम्मानजनक बरी होने के बराबर नहीं है। उसने इस बात पर जोर दिया कि केवल सम्मानजनक बरी ही अभियुक्त को रोजगार के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से दोषमुक्त करती है।
2. **पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिराम (2013):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नियोक्ताओं के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए कहा कि सम्मानजनक रिहाई को पूर्ण दोषमुक्ति माना जाना चाहिए तथा कर्मचारी को दंड या भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए।

#### दोषमुक्त होने और सम्मानजनक दोषमुक्त होने के निहितार्थ

बरी किये जाने और सम्मानजनक बरी किये जाने के बीच के अंतर के दूरगामी निहितार्थ हैं:

1. **रोजगार और कैरियर:**
  - नियमित रूप से दोषमुक्ति से कलंक लग सकता है, जिससे नौकरी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, विशेष रूप से सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाओं में जहां चरित्र सत्यापन कठोर है।
  - सम्मानजनक रिहाई से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को किसी पेशेवर परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी निर्दोषता स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है।
2. **सामाजिक धारणा:**
  - समाज अक्सर बरी हुए व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखता है, खासकर हाई-प्रोफाइल मामलों में। सम्मानजनक बरी होने से अभियुक्त की बेगुनाही की पुष्टि करके सामाजिक प्रतिष्ठा बहाल करने में मदद मिलती है।